कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्यप्रदेश

सतपुड़ा भवन, प्र... तल, भोपाल

क्रमांक/कोर्टकेस/वि.खा./1883 भोपाल,दिनांक 29/9/07

प्रति,

1. समस्त आयुक्त,
   मध्यप्रदेश
2. समस्त वन संरक्षक
   (क्षेत्रीय)/(वन्य प्राणी).
   मध्यप्रदेश
3. समस्त जिलाध्यक्ष,
   मध्यप्रदेश

विषय : राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य क्षेत्रों में विकास कार्यो की अनुमति।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा याचिका कमांक 202/95 टी.एन.गोदावर्मन विरूद्ध केन्द्र शासन एवं अन्य में दिनांक 14--2--2000 को आदेश जारी करते हुए समस्त प्रकार की विकास गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसके कारण इन क्षेत्रों में विकास कार्य लगभग रूक से गये थे। राज्य शासन के द्वारा इस संबंध में प्रयास करते हुए अप्रैल 2006 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया कि रांष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य क्षेत्र में विकास कार्यो की अनुमति दी जाये। जिसके फलस्वरूप माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 14--9--2007 (छायाप्रति संलग्न) को आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य क्षेत्रों में निम्न प्रकार की गतिविधियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

1/ 4 " व्यास की भूमिगत पीने के पानी की पाईप लाईन डालना।

2/ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 11 के.व्ही. विद्युत वितरण लाईन डालना।

3/ ग्रामीण क्षेत्रों में संचार सुविधा देने के लिए टेलिफोन लाईन अथवा ऑप्टिकल फाईबर डालना।

4/ ग्रामीणों को पीने के पानी की सुविधा देने हेतु कुँआ, हैण्डपम्प, छोटे तालाब इत्यादि का निर्माण करना।

5/ आंगनवाड़ी, शासकीय विद्यालय, शासकीय औषधालय का निर्माण करना।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के फलस्वरूप राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के राजस्व एवं वन क्षेत्रों में उपरोक्त लिखित वन विकास कार्यो की अनुमति के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान / अभ्यारण्य में 748 ग्राम है जिसमें 694 राजस्व ग्राम तथा 54 वन ग्राम है। राजस्व ग्रामों में उपरोक्त लिखित विकास कार्यों के क्रियान्वयन के लिए वन विभाग या सर्वोच्च न्यायालय से किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु वन ग्रामों में वनसंरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन क्षेत्र में किये जाने वाले विकास कार्यो हेतु 01 हेक्टेयर तक वनभूमि की आवश्यकता होने पर इसकी स्वीकृति संबंधित संचालक, राष्ट्रीय उद्यान / वनमण्डलाधिकारी के द्वारा दी जा सकेगी तथा 01 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि की आवश्यकता होने पर इसका प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम के तहत निर्धारित प्रपत्र में भारत सरकार को प्रेषित करना होगा। उपरोक्त आदेश के फलस्वरूप आशा है कि राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य के रहवासियों के विकास कार्यो को करने में कोई कठिनाई नहीं होगी एवं आप इस संबंध में इन क्षेत्रों में रह रहे आदिवासियों एवं अन्य ग्रामीणों के उत्थान के लिए विकास कार्य कर सकेगें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

25/9/07

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
मध्यप्रदेश भोपाल

पृ0कमांक/कोर्टकेस/1884 भोपाल,दिनांक 25/9/07

प्रतिलिपि :

1/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश भोपाल

2/ समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश

3/ समस्त मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश

की ओर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14–9–2007 की छायाप्रति सहित सूचनार्थ अग्रेपित।

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
मध्यप्रदेश भोपाल

I.A.No.1220 in I.A.NO.548 & 994 IN W.P.(C) No.202/1995

The CEC has filed an interim report wherein it has stated that this Court passed an order dated 14.2.2000 by which certain activities were expressly prohibited and that included:

(i) felling of trees and their removal;

(ii) removal of bamboo or grasses for any purpose whatsoever;

(iii) removal of corals and other living forms from marine national parks/sanctuaries;

(iv) construction of tourist complexes, hotels and restaurants, zoos and safari parks or any other building not for direct use for protection and management of wildlife and its habitat; and other non-forest activities

But it was not specifically stated as to what permitted activities could be done in the forest which may not have any commercial concern. In the CEC report it has been stated that the removal of weeds, clearing and burning of vegetation for fire lines, maintenance of fair weather roads, habitat improvement, digging, temporary water holes, construction of anti-poaching camps, chowkies, check posts etc. may be essential for maintenance of forests and for the prohibition and supervision of the forests for the Forest Department. We permit all these activities to be done though they do not come within the purpose of Order passed on 14.2.2000. It is also stated that the following activities may also be permitted:

(i) laying of underground drinking water pipelines up to 4 inch diameter;

(ii) laying of 11 KV distribution lines for supply of electricity to rural areas;

(iii) laying of telephone lines or optical fiber for providing communication facilities in rural areas;

(iv) wells, hand pumps, small water tanks etc. for providing drinking water facilities to villagers, who are yet to be relocated from the protected area.

In addition to the above, the Anganwadies, government schools and government dispensaries which are essential for the inhabitants of people who are nearer to these forest areas shall continue and the Government may carry out construction activities in the forest area for the said purposes without there being any cutting or falling of trees.

The States may file application for clarification, if any of the States have any other other difficulty. It is open to them to make any appropriate suggestion in this regard.

I.A. is disposed of accordingly.